न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 47/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/69

उनवान

1. भीमसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1 गोपालसिंह पुत्र भीमसिंह
   1/2 रविन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह
   1/3 सुधा देवी पुत्री भीमसिंह
   1/4 अर्चनादेवी पुत्री भीमसिंह
   1/5 सुनीता पुत्री भीमसिंह
   1/6 गिलासी बेवा भीमसिंह
   } जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.............अपीलार्थीगण

बनाम

1. बदनसिंह पुत्र भंवरी–मृतक
   1/1 शीला पुत्री बदनसिंह पत्नी धोरे जाति जाट निवासी शेखपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।
   1/2 वीरेन्द्र
   1/3 धीरज उर्फ धीरू
   } पुत्रान स्व. बदनसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. जगवीर पुत्र परभाती–मृतक
   2/1 मुक्ती पत्नी स्व0 जगवीर
   } जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/2 मंजू पुत्री जगवीर पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी कैलूरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बादामसिंह पुत्र भंवरी
4. बृजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरी
   } जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. राजवीर पुत्र मंगू–मृतक
   5/1 रामवीरी बेवा राजवीर जाति जाट निवासी नरहौली कौलोनी मथुरा।
   5/2 राधा पुत्री राजवीर पत्नी रिन्कू जाति जाट निवासी ग्राम ताज तहसील व जिला मथुरा
   5/3 रीनू पुत्री राजवीर पत्नी मुकेश जाति जाट निवासी छाता तहसील छाता जिला मथुरा
   5/4 सपना पुत्री राजवीर पत्नी गोविन्दा जाति जाट निवासी अडूकी रोड़ मथुरा जिला मथुरा
   5/5 भावना पुत्री राजवीर पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी ग्राम मूरछा तहसील व जिला मथुरा।
   5/6 नीतू पुत्री राजवीर पत्नी बच्चू जाति जाट निवासी ग्राम वैलूरी नगरिया तहसील मांट जिला मथुरा
   5/7 दीपू पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी नरहौली कौलोनी तहसील व जिला मथुरा।
   5/8 मन्जू पुत्री राजवीर जाति जाट निवासी नरहौली कॉलोनी तहसील व जिला मथुरा।
6. चन्द्रपाल पुत्र मंगू जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. सुमरन पुत्र खिल्ला उर्फ खिल्लू जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. महेन्द्र पुत्र खिल्ला उर्फ खिल्लू जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. छीतर पुत्र रतनी जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. हम्मीर पुत्र रतनी जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. मोहन सिंह पुत्र रतनी जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्यामसिंह उर्फ श्यामल जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(राज.)

13. वेदप्रकाश पुत्र रमेश जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. कुशलपाल पुत्र रमेश जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल आबाद मालवीय नगर सैक्टर नं. 14 सीमा हॉस्पीटल के सामने वाली रोड़ जयपुर।
15. सतवीर पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई।
16. रामू पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
17. परमवीर उर्फ पप्पी पुत्र रमेश जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई हाल आबाद कृष्णा नगर मकान नं. 104 भरतपुर–मृतक
    17/1 वन्दना बेवा परमवीर उर्फ पप्पी
    17/2 जान्हवी पुत्र परमवीर
    17/3 करन पुत्र परमवीर उर्फ पप्पी
    } जाति जाट, मकान नं. 104 कृष्णा नगर भरतपुर
18. छउआ उर्फ कृष्णपाल पुत्र हरख्याल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर–मृतक
    18/1 प्रतापसिंह पुत्र छउआ उर्फ कृष्णपाल जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर–मृतक
    18/1/1 सुखदेई पत्नी स्व. प्रतापसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
    18/1/2 प्रवेश पुत्री प्रताप पत्नी समय सिंह जाति जाट निवासी लाटखी खेरा तहसील कठूमर अलवर
    18/1/3 भावना पुत्री प्रतापसिंह पत्नी धारा जाति जाट निवासी लाटखी खेरा तहसील कठूमर अलवर
    18/1/4 सुशील पुत्र प्रतापसिंह
    18/1/5 राजाराम पुत्र प्रतापसिंह
    } जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
    18/1/6 राजवती पुत्री प्रताप पत्नी अमित जाति जाट निवासी गोबरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
    18/2 गनपतसिंह पुत्र छउआ उर्फ कृष्णपाल
    18/3 रनधीरसिंह पुत्र छउआ उर्फ कृष्णपाल
    18/4 मन्नू पुत्र छउआ उर्फ कृष्णपाल
    18/5 लक्ष्मी पुत्री छउआ उर्फ कृष्णपाल
    } जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
19. मानसिंह पुत्र रामा
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

.............उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 115/12 बउनवानी भीमसिंह बनाम बदनसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2025 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 से 5/1, 6, 11, 13, 15, 18/1/1 लगायत 19 श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.05.2026**

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा मु.स. 115/12 बउनवानी भीमसिंह बनाम बदनसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2025, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4662/0.13 वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें वादी अपने पिता सूरजमल के साथ संवत 2012 से पूर्व से ही खातेदार की तरह काबिज चला आ रहा है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1,3,4 व अन्य प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम विवादित आराजी ख.न. 4662/0.13 पर इन्द्राजात खातेदारी जो कि गलत तरीके से चली आ रही है, के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादी को बेदखल करने के प्रयास में है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 4662/0.13 वाके ग्राम कबई द्वितीय का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1,3 व 4 व अन्य प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मृतक के नाम चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.01.2025 को निर्णय पारित कर दावा वादीगण खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह कुन्तल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण अपने बाबा सूरजमल के समय से काबिज चले आ रहे हैं विवादित आराजी में उनका गैंतवाड़ा बना हुआ है जो कृषि जिन्स रखने व भूसा आदि रखने व पशु बांधने व लडामनी आदि बनाकर पशुओं को बांधने के काम में लेते चले आ रहे हैं उनके पूर्वजों की समाधि बनी हुई हैं पुराने छायादार वृक्ष लगे हुए हैं जो अपीलार्थीगण के पूर्वजों ने लगाये हैं। इस प्रकार मौके पर कब्जा अपीलार्थीगण का साबित होते हुए भी खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। विवादत आरजी ख.न. 4662/0.13 अपीलान्ट की आबादी में है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में सिविल कोर्ट में प्रस्तुत दावे में भी इस आराजी को कृषि भूमि होना मानकर दावे को सुनने का अधिकार नहीं होते हुए खारिज करने का निर्णय दिया है। दावा शुद्धि एवं घोषणा का है। अपीलान्ट की पुरानी खेवट है जो पुश्तैनी कुआं की आराजी है। जिस पर अपीलान्ट के मकान भी बने हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय उक्त दावा आबादी में मानकर खारिज कर दिया जबकि प्रतिवादीगण ने कोई भी जबाबदावा पेश नहीं किया है और यदि जबाब पेश नहीं किया तो दावा डिक्री किया जाना चाहिए। अपीलान्ट ने इससे संबंधित रिकार्ड पेश किए है एवं अगर रिकार्ड ही सही होता तो अपीलान्ट दावा क्यों पेश करते, विवादित आराजी पर सूरजमल से लेकर आज तक अपीलान्ट का कब्जा है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 19 के पूर्वजों के नाम कतई गलत चले आ रहे हैं जो कलमजन किए जावे। रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी पर वादी की बनी चारदीवारी को तोड़ने की कोशिश में हैं तथा वादी को गैतवाड़े से जबरन बेदखल करने का इरादा रखते हैं। विवादित आराजी मुत. पर इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम कतई गलत चले आ रहे हैं इन गलत प्रविष्टियों के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादीगण के खातेदारी अधिकारों से इन्कार हो रहे हैं और

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

धमकी बेदखली दे रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व 5 लगायत 11 व 13, 15 का जबाबदावा बन्द किया गया है तथा अन्य के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने वादी के वाद का प्रतिवाद नहीं दिया है ऐसी स्थिति में दावा न्यायालय तहत द्वारा हर सूरत में स्वीकार कर डिक्री करना चाहिए था। ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2025 को निरस्त किया जावे तथा दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा खातेदारी चाही गई है जबकि अपीलान्ट द्वारा एक भी दस्तावेज ऐसा पेश नहीं किया जिसमें विवादित आराजी पर अपीलान्ट का नाम दर्ज रहा हो। दावा को साबित करने का दायित्व वादी/अपीलान्ट का है। प्रतिवादी की किसी भी कमी का वादी फायदा नहीं उठा सकते हैं। सिविल न्यायालय द्वारा दावा खारिज कर दिया गया हो इसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई भी आदेश पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा एक भी ऐसी जमाबन्दी पेश नहीं की गई जिससे उनकी खातेदारी सिद्ध होती हो। अपीलान्ट द्वारा खसरा गिरदावरी पेश की गई है जो अधिकार अभिलेख नहीं हैं इनके आधार पर कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। मौखिक साक्ष्य के आधार पर कोई भी दावा डिक्री नही हो सकता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी कोई दावा डिक्री नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 1 में भी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी है तथा प्रदर्श 1,2,3,4,5 से दावा कतई सिद्ध नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा कोई भी जमाबंदी पेश नहीं की गई है। अपीलान्ट की वंशावली भी ताईद नहीं की गई है एवं न ही अपीलान्ट ने कहीं यह बताया कि सूरजमल अपीलान्ट के पूर्वज हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं हुई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2014(1) RRT 695, 2012(2) CT 426, 2025(1) RRT 372 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांक 14.01.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 11.03.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4662/0.13 वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें वादी अपने पिता सूरजमल के साथ संवत 2012 से पूर्व से ही खातेदार की तरह काबिज चला आ रहा है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1,3,4 व अन्य प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम विवादित आराजी ख.न. 4662/ 0.13 पर इन्द्राजात खातेदारी जो कि गलत तरीके से चली आ रही है, के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादी को बेदखल करने के प्रयास में है। इसलिए वादपत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा कि वादी को विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खसरा नम्बर 4662/0.13 वाके ग्राम कबई द्वितीय का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1,3 व 4 व अन्य प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मृतक के नाम चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.01.2025 को निर्णय पारित कर दावा वादीगण खारिज कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने अपने वाद को सिद्ध करने हेतु निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं :–

1. प्रदर्श EXP- 1 जमाबन्दी ग्राम कबई द्वितीय सम्वत 2065–2069
2. प्रदर्श EXP- 2 खसरा टीप मौज कबई सम्वत 2004 से 2007
3. प्रदर्श EXP- 3 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 ग्राम कबई
4. प्रदर्श EXP- 4 नकल मिलान क्षेत्रफल सितम्बर 2001 अक्टूबर 2021 ग्राम कबई
5. प्रदर्श EXP- 5 खसरा गिरदावरी ग्राम कबई सम्वत 2012–2015

प्रदर्श EXP-1 जमाबन्दी सम्वत 2065–2069 ग्राम कबई–II के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 4662 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म गै.मु.चाह बदन सिंह, परभाती, बादामसिंह, बृजेन्द्र सिंह पिसरान भंवरी, मु. भोरी बेवा भंवरी हि. बराबर सरुप बल्द छत्तर, खिल्ला बल्द किसन, रतनी बल्द गोकल, श्याम बल्द टीकम, हरख्याल बल्द सुन्दर, छउआ बल्द हरख्याल कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श EXP-4 मिलान क्षेत्रफल सितम्बर 2001 से अगस्त 2021 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 4662 रकबा 0.13 हैक्टर गत खसरा नम्बर 3939 रकबा 10 बिस्वा से निर्मित हुआ है एवं प्रदर्श EXP-3 अनुसार खसरा नम्बर 3939 रकबा 10 बिस्वा गत खसरा नम्बर 3146 मि. रकबा 16 बिस्वा से निर्मित हुआ है। वादीगण ने ऐसा कोई अधिकार अभिलेख अर्थात जमाबन्दी के रुप में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में उनके पूर्वज सूरजमल के नाम रही है एवं वाद में प्रतिवादीगण के पूर्वज या प्रतिवादीगण के नाम गलत रुप से दर्ज हो गयी हो। इस प्रकार वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में डिक्री नहीं किया जा सकता है। अगर प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहकर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी हो जावे तो भी वादीगण को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है। जिसका अभाव प्रस्तुत प्रकरण में रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री में कोई त्रुटि नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

9. अतः अपील अपीलान्ट उपर्युक्त विवेचन के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश व डिक्री दिनांक 14.01.2025 यथावत रखे जाते हैं।
10. निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर